प्रेस नोट सं0 36

दिनांक- 15.03.2024

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी पुलिस

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोग में अमेठी पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

पुलिस अधीक्षक अमेठी के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी के पर्यवेक्षण में महिला सम्बन्धी अपराधों में अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चल रहे अभियोगों में “operation conviction” अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोग में अभियोजन अधिकारी, न्यायालय पैरोकार एवं मॉनीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय ए0एस0जे0-12 सुल्तानपुर में मु0अ0सं0 130/2021 धारा 376,506,511 भादवि व 9/10 पाक्सो एक्ट में थाना मुसाफिरखाना के अभियुक्त जगदम्बा सिंह पुत्र राम प्रताप सिंह निवासी सादीपुर थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी को उक्त “**मिशन शक्ति**’ के अभियोग में आज दिनांक 15.03.2024 को 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000 रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

प्रश्नगत अभियोग में वादी मुकदमा की दिनांक 13.05.2021 समय 13.49 बजे की तहरीरी सूचना के आधार पर वादी की नाबालिग पुत्री के साथ अभियुक्त जगदम्बा सिंह पुत्र राम प्रताप सिंह निवासी सादीपुर थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी द्वारा दुष्कर्म करने का प्रयास एवं जान से मारने की धमकी देने की सूचना पर मु0अ0सं0 130/2021 धारा 376,506,511 भादवि व 9/10 पाक्सों एक्ट थाना मुसाफिरखाना पर पंजीकृत होकर विवेचक उ0नि0 श्री हरदेव बहादुर सिंह द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त, आरोप पत्र संख्याः ए-149 दिनांक 26.06.2021 एवं को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।